न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 14/2015

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 प्रेमाराम नायक उम्र 67 वर्ष पुत्र मोहनराम जाति नायक निवासी दीनारपुरा तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 सुरजा पुत्र खेता।
2 पूर्ण पुत्र खेता जाति नायक निवासीगण दीनारपुरा तहसील व जिला सीकर राजस्थान।
3 उप पंजियक सीकर।
4 पटवार हल्का दादिया तहसील व जिला सीकर।
5 तहसीलदार तहसील सीकर, जिला सीकर

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 24.02.2014
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर पीठासीन
अधिकारी पुष्कर्राज शर्मा आर.ए.एस. आवेदन
मुकदमा नम्बर 1/2014 बउनवानी
प्रेमाराम नायक बनाम सुरजा आदि

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थित

1. श्री नोपाराम जांगिड़ अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री नानूराम अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः–28.09.2018

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 1/2014 में पारित निर्णय दिनांक 24.02.2014 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट ने खसरा नम्बर 146 वाके ग्राम दिनारपुरा तहसील सीकर पर प्रतिकुल कब्जे के आधार पर अस्थाई निषेधा का आवेदन प्रस्तुत किया विचारण न्यायालय ने अप्रार्थीगण का जवाब प्राप्त कर उभयपक्ष के साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया है कि अपीलांट विवादित भूमि पर काबिज है खसरा गिरदावरी से इसकी पुष्टि होती है विचारण न्यायालय को यथास्थिति रखनी चाहिए थी घोषणा का दावा है यदि विवादित भूमि में स्थगन खारिज किया जाता है तो

रेस्पोडेंटस भूमि को खुर्द बुर्द कर देंगे अत अपील अपीलांट स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि रहन के प्रकरण में सिविल न्यायालय को सुनवाई का अधिकार है धारा 43 में प्रावधान है कि रहन की अवधि पांच वर्ष होती है विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी. 2014 पेज 1398 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एंव विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि पर अपीलांट अपना कब्जा साबित करने में सफल नही रहा है विवादित भूमि की खातेदारी रेस्पोडेंट के नाम दर्ज है प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के विरूद्व अन्यथा साक्ष्य के अभाव में अस्थाई निषेधाज्ञा दिया जाना विधि सम्मत नही है ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु रेस्पोडेंट के पक्ष में साबित है विचारण न्यायालय ने इस पर विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है जिसमें हम कोई त्रुटि नही पाते है फलस्वरूप अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28.09.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

28/9/18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर